



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11012021-224203
CG-DL-E-11012021-224203

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23]
No. 23]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 5, 2021/पौष 15, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 5, 2021/PAUSHA 15, 1942

jy e=ky;

%jyo ckM%

vf/k l puk

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2020

dk-vk- 23%v%—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 22 अक्टूबर, 2020 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3748 (अ) तारीख 19 अक्टूबर, 2020 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, बिहार राज्य के जिला औरंगाबाद में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात्, दैनिक जागरण और हिन्दुस्तान में तारीख 5 नवंबर 2020 को प्रकाशित किया गया था;

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार किया गया, तदनुसार आदेश पारित कर दिए गए हैं;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

vulph

fcgkj jkT; e fo'k" k jyo ifj; ktuk vFkk r] bLVu MMhdVM YV dkjhMkj d fy, vkjxckn fty d vUnj
Ijpuk lfr ;k mld fcuk vku okyh Hkfe dk l f{kr fooj.k।

Øe l.0	vpy dk uke	xke dk uke@Fkkuk l.0	[kkrk l.0	lykV l.0	{k=Qy , dM e	{k=Qy gDV; j e	tehu dh idfr	Hkfe Lokh dk uke
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बारुण	पौथु-106	100	406	0.0100	0.0040	कृषि	शंकर सिंह वो हरिशंकर सिंह पिता रविन्द्र सिंह ग्राम-पौथु, थाना-जम्होर, जिला-औरंगाबाद।
2			100	406	0.0100	0.0040	कृषि	डोमा मिस्त्री पिता भवनाथ मिस्त्री ग्राम-पौथु, थाना-जम्होर, जिला-औरंगाबाद।
3			100	406	0.0100	0.0040	कृषि	सरिता देवी पति राजा राम ग्राम-पौथु, थाना-जम्होर, जिला-औरंगाबाद।
4			100	406	0.0100	0.0040	कृषि	जुगेश मिस्त्री पिता स्व० महाराज मिस्त्री ग्राम-पौथु, थाना-जम्होर, जिला-औरंगाबाद।
5			137	408	0.0100	0.0040	आवासीय	मदन राम पिता रामदेनी राम ग्राम-पौथु, थाना-जम्होर, जिला-औरंगाबाद।
6			137	408	0.0100	0.0040	आवासीय	रामराज राम पिता रामदेनी राम ग्राम-पौथु, थाना-जम्होर, जिला-औरंगाबाद।
7	बारुण	बारुण-155	172	1593	0.0350	0.0142	कृषि	गैरमजरूआ आम।
8			201	721	0.0500	0.0202	कृषि	गैरमजरूआ आम।
9	बारुण	पिपरा-152	56	125	0.0325	0.0132	कृषि	अभय पासवान वो देवर्षि कुमार पिता-स्व० रामप्रसाद आर्य ग्राम-पिपरा, जिला-औरंगाबाद।

[फा.सं. 2020/एलएमएल-II/12/2/ईसी/2099]

ए.के. सिन्हा, कार्यकारी निदेशक (भू एवं सु. और स्टे.वि.)

MINISTRY OF RAILWAY**(Railway Board)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th December, 2020

S.O. 23(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 3748(E), dated the 19th October, 2020, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 22nd October, 2020 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Aurangabad in the State of Bihar;

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspaper, namely, Dainik Jagran and Hindustan dated the 5th November, 2020 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received and the same has been considered by the competent authority, accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in district Aurangabad in the State of Bihar.

Sl. No.	Name of Anchal	Name of Village /Thana no.	Khata No.	Plot No.	Area in Acre	Area in Hect.	Nature of Land	Name of Land Owner
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Barun	Pauthu-106	100	406	0.0100	0.0040	Agriculture	Shankar Singh and Harishankar singh S/o Ravindra singh, vill-Pauthu, Thana-Jamhor, Dist-Aurangabad.
2			100	406	0.0100	0.0040	Agriculture	Doma Mistri S/o Bhavnath Misri, vill-Pauthu, Thana-Jamhor, Dist-Aurangabad.
3			100	406	0.0100	0.0040	Agriculture	Sarita devi W/o Raja Ram, vill-Pauthu, Thana-Jamhor, Dist-Aurangabad.
4			100	406	0.0100	0.0040	Agriculture	Jugesh Mistri S/o Lt. Maharaj Mistri, vill-Pauthu, Thana-Jamhor, Dist-Aurangabad.
5			137	408	0.0100	0.0040	Residential	Madan Ram S/o Ramdeni Ram, vill-Pauthu, Thana-Jamhor, Dist-Aurangabad.

6			137	408	0.0100	0.0040	Residential	Ramraj Ram S/o Ramdeni Ram, vill-Pauthu, Thana-Jamhor, Dist-Aurangabad.
7	Barun	Barun-155	172	1593	0.0350	0.0142	Agriculture	GMM AAM.
8			201	721	0.0500	0.0202	Agriculture	GMM AAM.
9	Barun	Pipra-152	56	125	0.0325	0.0132	Agriculture	Abahay Paswan ,Devarshi Kumar S/o Ramprasad Arya Vill-Pipra, Dist-Aurangabad.

[F. No. 2020/LML-II/12/2/EC/2099]

A.K. SINHA, Executive Director (L&A and SD)